संख्या:23/2018/421/35-4-2018

प्रेषक ,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 31 मार्च,2018

विषय: वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में ग्राम्य विकास विभाग की संस्तुति पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 21 पाईप पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-22/2018/420/35-4-2018 दिनांक 31 मार्च,2018 द्वारा रू. 2201.77 लाख की धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखी गई है। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि संबंधितों के साथ ही मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ को है। उक्त धनराशि का आहरण लखनऊ कलेक्ट्रेट से होना है। अतः प्रतिलिपि के बिन्दु संख्या-9 को "मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ" के स्थान पर "मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट" पढ़ा जाये। इस सीमा तक उक्त शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या:23/2018/421(1)/35-4-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल।
7- जिलाधिकारी, सोनभद्र/मिर्जापुर।
8- मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र/मिर्जापुर ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट।
10-उप निदेशक अर्थ एवं संख्या, सोनभद्र/मिर्जापुर।
11-गार्ड फाईल।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13-राज्य योजना आयोग-1
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सोनभद्र/मिर्जापुर।

आज्ञा से ,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in